

पत्रांक 14 एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक
बी०एम० बीड़ला, हार्ट रिसर्च, सेंटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.6.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	श्याम किशोर सिंह पिता-स्व. राम प्यारे सिंह ग्राम-नीरपुर पोस्ट+थाना-बिन्द जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 2,10,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836656 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30570709502, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीड़ला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-अलीपुर ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0000004 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

31/11/17
21/11/17

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...836656...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

945 (14)

पटना, दिनांक

20/6/17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.06.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता पिता-बैजनाथ प्रसाद ग्राम-नई बाजार अकरूदा पो०+थाना+जिला-बक्सर सीआरनं०-2017013446	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	मो० शेख अब्बास पिता-शेख गुलाम हसन ग्राम-कटघरबा पो०-नरकटियागंज थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण सीआरनं०-2016743301	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	संदीप कुमार पिता-रामजी महतो ग्राम-परोरहा पो०-थाना-साठी जिला-प० चम्पारण सीआरनं०-2016605370	पैनक्रियाज रोग (सर्जरी)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	प्रदीप कुमार पिता-बाबु लाल सिंह ग्राम-भेल पोस्ट-सिकन्दरपुर थाना-जी०बी० नगर तरबारा जिला-सीवान सीआरनं०-2015803720	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	सुरेन्द्र प्रसाद पिता-स्व. राम सेवक प्रसाद ग्राम-दालदली बाजार पो०-छपरा, थाना-नगर जिला-सारण सीआरनं०-2017425914	न्युरो रोग सर्जरी	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

21/11/17
21/11/17

6	मो० आलमगीर पिता-मो० करमुल्लाह साहब ग्राम-पो०-गोविन्दापुर थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं०-2007505177	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	महेश प्रसाद पिता-स्व० पारस प्रसाद ग्राम-जीरीया तमोलीन की गली पोस्ट-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना सीआरनं०-2017279925	कैंसर रोग	₹ 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 7,30,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,30,000 /- (सात लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई० डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस० जी० पी० जी० आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संजय कुमार तिवारी, उर्फ मुन्ना तिवारी मा० स० वि० स० बक्सर / श्री खुशींद उर्फ फिरोज अहमद मा० मंत्री गन्ना उ० विभाग / श्री विनय वर्मा, मा० स० वि० स० नरकटियागंज, / श्री जितेन्द्र कुमार राय मा० स० वि० स० मढ़ौरा / डा० शमीम अहमद मा० स० वि० स० / सभी संबंधित मरीजों/आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)